न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 50 सन 2022
अनवान :–

1. गिरधारी पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अराल प्रतिवादी

2. बिशनाराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. रामेश्वर पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. गीता पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 20/4/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 597/587 की कुल 4.4770हैक भूमि में प्रार्थी एव तरतीवी अप्रार्थी संख्या 2 ,3 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 4 के पति का नाम बतौर खातेदार काश्तकार है

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण लाभुराम दर्ज हो गया जबकि वादी के पिता का सही नाम लाधुराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी के पिता का नाम लाधुराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि में वादी के पिता का नाम लाभूराम के स्थान पर लाधुराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जवाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 597/587 की कुल 4.4770हैक भूमि में प्रार्थी एव तरतीवी अप्रार्थी संख्या 2 ,3 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 4 के पति का नाम बतौर खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण लाभुराम दर्ज हो गया जबकि वादी के पिता का सही नाम लाधुराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी के पिता का नाम लाधुराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 597/587 की कुल 4.4770हैक भूमि प्रार्थी के पिता के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम लाभूराम दर्ज है। वादी का कथन है कि उसके पिता का सही नाम लाधुराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , सभी में वादी के पिता का नाम लाधुराम दर्ज है तथा सायल सरंपच ग्राम पंचायत की तस्दीक पेश की जिसके अनुसार भी सायल के पिता का नाम लाधुराम होना प्रतित होता है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 597/587 की कुल 4.4770हैक भूमि में सायल व तरतीबी अप्रार्थी के पिता/पति का नाम लाभूराम दर्ज के स्थान पर लाभूराम उर्फ लाधुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 2547 दिनांक :- 20/7/22

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 50 / 2021 अनवानी गिरधारी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रसंग :- अनवान :-

1. गिरधारी पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. बिशनाराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. रामेश्वर पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. गीता पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 50 / 2021 अनवानी गिरधारी बनाम सरकार में दिनाक 20/7/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 597 / 587 की कुल 4.4770हैव भूमि मे रायत व तरतीवी अप्रार्थी के पिता / पति का नाम लाभूराम दर्ज के स्थान पर लाभूराम उर्फ लाधुराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner